

मूल वाद संख्या 66/2018
 फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फॉरस्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

ज्ञानसिंह बनाम सुखदेवसिंह व अन्य

प्रार्थनापत्र संख्या 45/2018
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
16.05.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तार द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रारम्भिक स्तर पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी. जिससे सन्तुष्ट होकर प्रारम्भिक स्तर पर आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, आगामी तिथि तक, चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 72/68 गुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 13/1 के 3.163 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की स्थिति यथावत कायम रखें. अनावेदकगण की तलबी हेतु पंजीकृत नोटिस जारी हो. अनावेदकगण की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस के पंजीबद्ध नहीं करवाये जाने एवं अनावेदक द्वारा उपस्थित आने पर आवेदकगण बहस हेतु उपस्थित नहीं आने की स्थिति में एवं प्रारम्भिक स्तर पर जारी किये जा रहे आदेश स्वतः ही निरस्त किये जा सकेंगे. पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01 जून, 2018 को पेश हो.</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फॉरस्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p> <p>5106 XXII अधिवक्ता श्री सु. अग्रणी चक 2-3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल द्वारा बहस प्रस्तुत व फावली में शामिल किया गया अधिवक्ता श्री सु. अग्रणी द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना संख्या 9 से 12 की तलबी हेतु जारी अधिसूचना-सदिस अधिसूचना तमिल प्रांत पिनक वर्मान सहित साहित्य प्रस्तुत अधिसूचना-सदिस अधिसूचना के दिनांक की गयी अधिसूचना अधिसूचना संख्या 1, 4 से 8</p>	<p>1083-1095 18.5.18</p>



